Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of

RAJASTHAN (State) From 120-BALI Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Shri PUSHPENDRA SINGH

Of MU.PO. – BIJAPUR TEH – BALI DISTRICT – PALI (RAJ.) PIN – 306707 sponsored by BHARATIYA JANATA PARTY (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: PALI

Dated:03 December, 2023

(Bhagirath Ram)
Returning Officer

120-Bali Assembly Constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Bali)

(Bhagirath Ram)
Returning Officer
120-Bali Assembly Constituency
(Jub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)
Bali

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

120- बाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा क्रता हूं कि -

श्री पुष्पेन्द्र सिंह

मु.पो. – बीजापुर तह – बाली जिला – पाली (राज.) पिन – 306707

जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यता प्राप्त/ रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए / की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए

स्थान : पाली

स्थान : पाला

दिनांक: 03-12-2023

(भागीरथ राम)

रिटर्निंग अधिकारी

120- बाली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली)

(मागीरय राम) रिटर्निंग अधिकारी 120-बाली विद्यानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) वाली